फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस

GCMS NO. - 2022/142

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट — मुकदमा नम्बर 266/2022

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>11.01.23</td><td>
यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री सोहनलाल पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।
प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम जैतासर की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 में नया खाता संख्या 6 व पुराना खाता संख्या 7 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सोहन पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार सोहनलाल पुत्र मुलाराम है। प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र मुलाराम किये जाने का आदेश फरमावें।
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार बीदासर को रिपोर्ट हेतु लिखा गया जिस पर तहसीलदार बीदासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार बीदासर प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नही है। प्रार्थी स्वयं साबित करे। जिसके बाद तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी संवत् 2076–2079 में प्रार्थी का नाम सोहन पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र मूलाराम है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।
प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, व दस्तावेजात एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 में नया खाता संख्या 6 व पुराना खाता संख्या 7 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–
<table>
<tr><th>क्रं.स.</th><th>ग्राम</th><th>खाता संख्या</th><th>वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)</th><th>आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)</th></tr>
<tr><td>01</td><td>जैतासर</td><td>6 (नया)
7 (पुराना)</td><td>सोहन पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी दड़ीबा खातेदार</td><td>सोहनलाल पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी दड़ीबा खातेदार</td></tr>
</table>
राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़
क्रमांकः राजस्व/2022/ — दिनांकः .2022
Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.02.13 12:08:31 IST
Reason: SelfAttested
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही –

तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित है।
प्रार्थी श्री सोहनलाल पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा जिला चूरू को सूचनार्थ।
रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़
</td><td></td></tr>
</table>